भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 835
सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक)

जशपुर में स्वरोजगार

835. **श्रीमती गोमती सायः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छत्तीसगढ़ के जशपुर और रायगढ़ जिलों में स्वरोजगार के लिए कार्यान्वित योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करने का कोई प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई योजना लागू की जा रही है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): भारत सरकार, देश में रोजगार/स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। दिनांक 25.11.2022 तक, जशपुर और रायगढ़ जिले में क्रमशः 1.77 लाख और 5.49 लाख ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

स्टैंड-अप इंडिया योजना, के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से प्रति बैंक शाखा 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के ऋण की सुविधा कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र में और कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए एक ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रदान की जाती है। दिनांक 30.11.2022 तक, जशपुर एवं रायगढ़ जिले में क्रमश: 42 एवं 155 ऋण स्वीकृत किये गये हैं।

सरकार प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) भी लागू कर रही है, जो गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है। पिछले दो वर्षों के दौरान जशपुर और रायपुर जिले में क्रमश: 119 और 303 सूक्ष्म इकाइयां स्थापित की गई हैं।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, देश भर में युवाओं के कौशल आधारित प्रशिक्षण के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) लागू कर रहा है। पीएमकेवीवाई में दो प्रशिक्षण घटक अर्थात् अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) शामिल हैं।

इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, देश में खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करने हेतु पारंपरिक उद्योगों अर्थात मधुमक्खी पालन, मिट्टी के बर्तन, चमड़ा, अगरबत्ती बनाने, साबुन और डिटर्जेंट बनाना, खादी कताई और बुनाई, बेकिंग और केक बनाना आदि में कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करता है। ।

छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जशपुर एवं रायगढ़ जिले में संचालित स्वरोजगार योजनाओं के नाम अनुबंध में दिए गए हैं।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 12.12.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 835 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जशपुर जिले में स्व-रोजगार के लिए लागू योजनाओं के नाम

क्र.सं.	विभाग / संगठन	स्व-रोजगार योजना
1.	रेशम विभाग जशपुर, छत्तीसगढ़	तसर कृमिपालन योजना
		मलबरी रेशम कृमिपालन योजना
		धगाकरन रेनलिग
2.	अन्त्यवसायी सहकारी विकास समिति, जशपुर, छत्तीसगढ़	अंत्योदय स्वरोजगार योजना
		राष्ट्रीय अनुसुचित जनजाति वित्तीय एवं विकास योजना
		राष्ट्रीय अनुसुचित जाति वित्तीय एवं विकास योजना
		राष्ट्रीय सफाई कामगार वित्तीय एवं विकास योजना
		राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास योजना
		राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास योजना
3.	जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, जशपुर, छत्तीसगढ़	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
		प्रधानमंत्री सूक्ष्म खादी उद्यम उन्नयन रोजगार
		मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
4.	छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामद्योग बोर्ड	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
		मुख्यमन्त्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम
5.	मछली विभाग, जशपुर, छत्तीसगढ़	पट्टा आबंटन (आबंटन जल क्षेत्र)
		स्वयं के भूमि में तालाब निर्माण
6.	जिला कौशल विकास प्राधिकरण जशपुर, छत्तीसगढ़	मुख्यमंत्री कौशल विकास
		प्रधानमंत्री कौशल विकास

रायगढ़ जिले में स्वरोजगार के लिए लागू योजनाओं के नाम:

(क). केंद्र सरकार की योजना:

i. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

ii. प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज

(ख) छत्तीसगढ़ सरकार योजना:

i. मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना।